राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1291/2013

सोहन लाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, लालगढ पैलेस, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), सह अतिरिक्ति सीईओ जिला परिषद, नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.08.2013
आदेश की दिनांक : 19.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह नैन, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : अनुपस्थित

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद वर्ष 1984 में जिला रोजगार कार्यालय, नागौर में पंजीकरण कराया। शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार, पंचायत समिति, लाडनू ने जिला रोजगार कार्यालय से पात्र उम्मीदवारों के नाम आमंत्रित किए और इसके बाद अपीलार्थी का नाम और 15 अन्य योग्य उम्मीदवारों के नाम भेजे गए थे। पंचायत समिति के संबंधित प्राधिकारी ने अपीलार्थी की उम्मीदवारी पर विचार किया और अपने कार्यालय आदेश दिनांक 15.10.1984 (अनुलग्नक–1) द्वारा शिक्षक ग्रेड III के पद पर नियुक्ति दी गई। नियुक्ति आदेश दिनांक 15.10.1984 के क्रम में अपीलार्थी दिनांक 05.11.1984 को 490–840 रुपये के वेतनमान पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जसलान में शिक्षक ग्रेड III के पद पर पदस्थापित हुआ। नियुक्ति पत्र दिनांक 15.10.1984 में यह उल्लेख किया गया था कि उन्हें केवल शैक्षणिक सत्र के अंत तक अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में भी अपीलार्थी लगातार अपने पद पर पदस्थापित रहा। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलार्थी की नियुक्ति पंचायती राज अधिनियम, 1959 के नियमों के तहत स्थायी रिक्त पद पर शिक्षक ग्रेड III के पद पर प्रदान की गई। इस प्रकार अपीलार्थी की नियुक्ति प्रारंभ से ही स्थानापन्न प्रकृति की थी। इसके पश्चात अगस्त, 1990 में जिला स्थापना समिति, नागौर ने अपीलार्थी की नियुक्ति पर विचार किया और उसे उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से नियमित कर दिया (अनुलग्नक–2)। राज्य सरकार ने दिनांक 01.09.1986 से चौथे वेतन आयोग की

सिफारिशों को लागू किया और आदेश दिनांक 24.01.1991 को कार्यालय आदेश जारी करके अपीलार्थी के वेतनमान को संशोधित किया और उन्हें फिक्स–पे के बजाय 880–1680 रुपये के वेतनमान में शिक्षक ग्रेड–III संवर्ग में संपुष्ट मानते हुए निर्धारित किया (अनुलग्नक–3)। इसके पश्चात राज्य सरकार ने दिनांक 25.01.1992 को एक अधिसूचना जारी की, जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जिन कर्मचारियों ने पदोन्नति लाभ नहीं उठाया है, उन्हें 9, 18 और 27 वर्षों की निरंतर सेवा पर चयनित वेतनमान के लिए पात्र घोषित किया जाएगा। 9, 18 या 27 वर्ष की सेवा की गणना भर्ती नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार मौजूदा संवर्ग/सेवा में नियमित नियुक्ति की दिनांक से की जाएगी। परिपत्र के पैरा–3 के अनुसार अपीलार्थी को उसकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से मानते हुए 9 वर्ष की सेवा पूरी करने पर दिनांक 05.11.1993 को प्रथम चयन वेतनमान का लाभ दिया गया था (अनुलग्नक–4)। परिपत्र दिनांक 25.01. 1992 को संशोधित वेतन नियम, 1998 द्वारा संशोधित किया गया था और 9, 18 और 27 वर्षों के प्रावधान को 10 और 20 वर्षों से बदल दिया गया था। संशोधित प्रावधानों पर विचार करते हुए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रथम चयनित वेतनमान से 10 वर्ष की नियमित सेवा के बाद दिनांक 05.11.2003 से आदेश दिनांक 23.05.2005 (अनुलग्नक–5) द्वारा पारित कर 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। अपीलार्थी दिनांक 05.11.2011 को 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर (संशोधित वेतनमान नियम, 2008 के अनुसार) तृतीय चयनित वेतनमान/एसीपी का हकदार हो गया, लेकिन आज तक उसे तृतीय चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ नहीं दिया गया है। अपीलार्थी अभ्यावेदन प्रस्तुत कर तृतीय एसीपी देने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुरोध कर रहा है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका स्कूल द्वारा वर्ष 2011 में तृतीय चयनित वेतनमान/एसीपी के लिए भेजी गई थी, लेकिन उसे प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्यालय द्वारा यह कहते हुए वापस कर दिया गया था कि अपीलार्थी को उसकी स्थाई नियुक्ति दिनांक से तृतीय चयनित वेतनमान/एसीपी प्रदान किया जाएगा। प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्यालय ने अपीलार्थी को चयनित वेतनमान से वंचित करने के लिए कभी भी लिखित रूप में कोई आदेश या सूचना जारी नहीं की है। पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा नियुक्ति दिए गए शिक्षकों की सेवा पर विचार करने के संबंध में अस्पष्टता प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष बहुत पहले उठाई गई थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दिनांक 29.04.1993 को एक परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया था कि जिन कर्मचारियों को जिला परिषद/पंचायत समिति द्वारा नियम, 1959 के अनुसार तदर्थ आधार पर नियुक्ति और बाद में उनकी पुष्टि की गई, वे 9, 18 और 27 की समाप्ति पर दिनांक 25.01.1992 की अधिसूचना के नियम 3 के अनुसार चयनित

वेतनमान के लाभ के हकदार होंगे। लेकिन 25 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद प्रत्यर्थी विभाग ने बिना कोई कारण बताए और सुनवाई का अवसर दिए अपीलार्थी की सेवा दिनांक बदल दी है, जिससे अपीलार्थी को भारी वित्तीय हानि हुई है (अनुलग्नक–7)। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने मामलों के क्रम में निर्णय दिया है कि किसी कर्मचारी की सेवा उसकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से मानी जानी चाहिए और सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की सेवा दिनांक 05.11.1984 को प्रारम्भ से ही मानता रहा है तथा उसे प्रथम एवं द्वितीय चयन वेतनमान का लाभ दिया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.11.2011 से तृतीय चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ जारी करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करके अनुमति दी जाए और 27 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होने पर देय दिनांक 05.11.2011 से वास्तविक दिनांक तक 12 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित सभी परिणामी लाभ दिलाये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पंचायत समिति लाडनू जिला नागौर द्वारा आदेश दिनांक 15.10.1984 को अस्थायी तौर पर केवल 6 माह के लिए अथवा चयनित प्रत्यर्थी उपलब्ध हो जो भी पहिले हो की शर्त के साथ अध्यापक के पद पर की गई तत्पश्चात् प्रार्थी की सेवाऐ समाप्त कर दी गई और पुनः 01.07.1986 को नियुक्ति दी गई। इस प्रकार अपीलार्थ की सेवाऐ तदर्थ तौर पर रही अपीलार्थी पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा नियमो मे आवश्यक संशोधन संबंधी अधिसूचना 17.03.1989 के अनुसरण में सेवाओ का स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितिकरण संबधित आदेश जारी होने की तिथी से ही लाभ प्राप्ति का अधिकारी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 3620/2009, 2848/2006 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम् जगदीश नारायण चतुर्वेदी मे पारित विनिश्चय के अनुसार अपीलार्थी नियमित नियुक्ति से ही चयनित वेतनमान सहित सेवा संबधित समस्त लाभ प्राप्ति का विधिक अधिकारी है, अपीलार्थी उक्त अपील अत्यंत बिलम्ब बाद एवं बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुए प्रस्तुत की है और बिलम्ब क्षम्य की प्रार्थना के बिना ही सारहीन एवं निरर्थक तथ्यो के आधार पर माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चय की पालना मे उक्त अपील मय कोस्ट काबिल निरस्त योग्य है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 15.10.1984 (अनुलग्नक–1) द्वारा जिला नियोजन अधिकारी नागौर से प्राप्त सूची के आधार पर 6

माह के लिए अथवा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो अध्यापक के पद पर पूर्णतया अस्थाई नियुक्ति प्रदान की गई। उसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.10.1990 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का दिनांक 07.05.1988 से चयन किया गया एवं दिनांक 06.05.1990 से स्थायीकरण किया गया। अपीलार्थी का निवेदन है कि उसे प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति तिथि 15.10.1984 से स्वीकृत की गई है परन्तु 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जा रहा है, जबकि वह दिनांक 05.11.2011 को देय हो गई है। अतः तृतीय चयनित वेतनमान दिनांक 05.05.2011 से स्वीकृत किया जाकर उस पर पारिणामिक लाभ और विलम्ब से 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी ने अपने समर्थन में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा श्रीमती लीला वीरानी बनाम निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं अन्य छः प्रकरणों में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2013 की प्रति प्रस्तुत की गई है एवं निवेदन किया गया है कि इस प्रकरण द्वारा प्रथम नियुक्ति तिथि से ही 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृत करने हेतु आदेशित किया गया था। साथ ही ग्रामीण विकास एवं पंचयाचतीराज विभाग के पत्र दिनांक 29.04.1993 की प्रति प्रस्तुत की गई है और निवेदन किया कि इसमें भी प्रथम नियुक्ति तिथि से ही चयनित वेतनमान दिए जाने हेतु सेवा की गणना की जानी चाहिए। इस परिपत्र का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैः–

''अतः इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि अध्यापक पद पर निर्धारित योगयता अध्यापक की एडहॉक नियुक्ति राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा नियम 1959 के नियम 23 के अनुसार की जाती है तथा सेवा में निरन्तर रहते हुए उसका सेवा चयन आयोग द्वारा कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से ही नियमानुसार नियुक्ति मानते हुए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 25/01/19 92 के नियम 3 के अनुसार 9,18,27 वर्ष की सेवा पर देय चयन वेतनमान हेतु सेवा की गणना की जानी चाहिये।''

इसी परिपत्र के आधार पर अधिकरण द्वारा श्रीमती लीला विरानी एवं अन्य 6 प्रकरणों में दिनांक 26.07.2013 को आदेश प्रसारित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.10. 1984 द्वारा पूर्णतया अस्थाई तौर पर 6 माह अथवा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने जो भी पहले हो, की शर्त पर अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी गई एवं उसके पश्चात अपीलार्थी की सेवाएं समाप्त कर दी गई, किन्तु पुनः अपीलार्थी को दिनांक 01.07.1886 को नियुक्ति दी गई। पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा नियमों के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 17.03.1989 के अनुसरण में सेवाओं के स्क्रीनिंग के माध्यम से

नियमितिकरण संबंधी आदेश जारी होने की तिथि से ही अपीलार्थी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगदीश नारायण चतुर्वेदी बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है कि नियमित नियुक्त के पश्चात ही सेवा संबंधी परिलाभ प्राप्त होते है। राजस्थान सरकार बनाम चन्द्राराम में माननीय उच्च न्यायालय की वृद्धपीठ द्वारा निर्णय कर अभिनिर्धारित किया है कि नियमित नियुक्ति तिथि से कर्मचारी चयनित वेतनमान प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी है। उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं का निर्धारण किया है:–

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदूओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:–

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the

purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.
41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 07.05.1988 से नियमित की गई है। अतः अपीलार्थी उसी तिथि से चयनित वेतनमान एवं अन्य सेवा परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसके अनुसार अपीलार्थी की 27 वर्ष की सेवाएं दिनांक 06.05.2015 को पूरी होती है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यदि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान उक्त दिनांक 06.05.2015 से स्वीकृत नहीं किया गया है और अपीलार्थी चयनित वेतनमान हेतु निर्धारित शर्तें पूरी करता है तो दिनांक 06.05.2015 से चयनित वेतनमान स्वीकृति का अधिकारी होगा। अपीलार्थी को पूर्व में जो प्रथम और द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 15.10.1984 से सेवा की गणना कर स्वीकृत किया गया है, उसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा चन्द्राराम बनाम राज्य के प्रकरण में पारित निर्णय के दृष्टिगत वसूली किये जाने योग्य नहीं है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान दिनांक 15.10.1984 से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं बल्कि नियमितीकरण/चयन की दिनांक 07.05.1988 से चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है। लिहाजा अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य